

परियोजना का नाम:- गढ़सारी-कुल्याणी मोटर मार्ग का विस्तार
लम्बाई:- 3.000 किलोमीटर

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

ह0/-
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
बैजरो (पौड़ी गढ़वाल)

ह0/-
प्रमाणित करने वाला प्रभाग
उप प्रमाणित करने वाली
धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र
गढ़वाल वन प्रभाग (पौड़ी)

ह0/-
जिलाधिकारी

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
बैजरो पौड़ी (गढ़वाल)

ह0/-
लो. नि. वि.
बैजरो पौड़ी (गढ़वाल)

ह0/-
जिलाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग (पौड़ी)

ह0/-
जिलाधिकारी
गढ़वाल

ह0/-
जिलाधिकारी
गढ़वाल

ह0/-
जिलाधिकारी
गढ़वाल